

# शोध टीम ने पुरातात्विक स्थलों की प्राचीनता परखी

कंपिल, उ.प्र. : लखनऊ विश्व विद्यालय के प्राचीन भारतीय इतिहास एवं पुरातत्व विभाग से अर्घ्ये टीम को मदद को पहुंची इंडियन एन्टीक्यूट ऑफ टेक्नालॉजी (आईआईटी) कानपुर की आठ सदस्यीय शोध टीम ने रविवार को हुए टोला के दो व समलीला मंघन के एक पुरातात्विक स्थल की जिम्मे फेजिशनल रडार (जीफेआर) से एक्सरे कर प्राचीनता परखी।

आईआईटी के जावेद मलिक के निर्देश पर पहुंची शोध टीम ने बताया कि 2x3 जगह वाले अर्धवृत्तिका रडार से सतह से 6 फुट नीचे तक जमीन का एक्सरे किया जा सकता है। लखनऊ विश्वविद्यालय शोध टीम के निदेशक प्रो. सीपी तिवारी ने बताया कि जिम्मे फेजिशनल रडार उपकरण से खुदकर जमीन के अंदर दबी वस्तुओं का डाटा फीड करता है। रडार में पीछे डाटा को रिपोर्ट प्रयोगशाला से तीन माह बाद मिलने पर संबंधित स्थलों की खुदाई करायी



जीपीआर मशीन से समलीला मंघन स्थल पर जमीन की जांच करते शोधकर्ता टीम के सदस्य।

• तीन माह बाद रिपोर्ट मिलने पर होगी स्थलों की खुदाई

जाएगी। उन्होंने बताया कि रडार से पता चलता कि जमीन के किताब नीचे कितना, सोबार गुना डाटा या कोई अन्य प्राचीन वस्तु है अथवा नहीं। रडार की परीक्षण रिपोर्ट में संभावित स्थानों पर यदि स्ट्रक्चर मिलता है, तो उस स्थल खुदाई करायी जायेगी। प्रो. तिवारी ने बताया कि शोध टीम हुए टोला स्थल दाखिली सेयद मजार, कपिल खरिसी देवी मंदिर और स्वताम्बर जैन मंदिर की चाइल्ट्रे वॉल समेत करीब एक दर्जन स्थानों पर जांचने की पुरातात्विक जांच रडार से की जा रही है।

रडार देखने के लिए ग्रामीणों की भीड़ लग गयी। अधिकतर ग्रामीणों के पास मोबाइल होने से रडार को उपग्रह से मिलान मिलने में दिक्कत हुई। शोध टीम ने ग्रामीणों से संवादक दूर ले जाने को कहा।

## फर्रुखाबाद

# पुरातत्व विभाग ने कंपिल में अवैध निर्माण रोकने को डीएम को लिखा

फर्रुखाबाद, नगर प्रतिनिधि : स्वताम्बर जैन मंदिर कंपिल के पास प्रतिबंध के बावजूद अवैध निर्माण करने पर पुरातत्व विभाग ने नियोग को रुकवाकर अतिक्रमण हटवाने एवं अवैध निर्माणकर्ता के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए डीएम को पत्र लिखा है। जिलाधिकारी सुखिदानंद दुबे ने इस मामले में एसडीएम कायमगंज को कार्रवाई के निर्देश दिये हैं।

स्वताम्बर जैन मंदिर कंपिल के निकट करीब पचास कमरों का गैरट हाउस बनाकर बाउंड्रीवाल का निर्माण कराया गया है। कंपिल के प्राचीन पुरातात्विक स्थल टोला की सीमा के परिधि एवं दीर्घ दिशा को भारत सरकार ने राष्ट्रीय संरक्षित के तहत प्रतिनिधि क्षेत्र घोषित किया है। केंद्र सरकार के नोटिफिकेशन संख्या 1764 दिनांक 16 जून 1992 के प्रकाशित गजट दिनांक 4 जुलाई 1992 व प्राचीन स्मारक एवं पुरातात्विक स्थल अधिनियम (संशोधन और विधिवान्धकरण) विधेयक नई दिल्ली के गजट दिनांक 23 जनवरी 2010 के द्वारा संरक्षित स्मारक के क्षेत्र में उल्लंघन एवं निर्माण दोनों प्राचीन

• प्रतिबंध के बावजूद हुआ निर्माण

प्राचीन संस्कृति धरोहर के परिवेश में मूल स्वरूप को नष्ट करने के कार्य को अवैध बताया है। इस संबंध में जिलाधिकारी कंपिल को जैन मंदिर के प्रबंधक विजय कुमार झाग के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने की तहरीर दी गयी, लेकिन पुलिस ने तहरीर रिजॉब नहीं की। पुरातत्व विभाग ने जिलाधिकारी को पत्र लिखकर अवैध निर्माण रुकवाकर अतिक्रमण हटवाने एवं कठोर कार्रवाई करने को कहा है।

अवमानना याचिका पर एसडीएम तलब

फर्रुखाबाद, नगर प्रतिनिधि : राज्य लोक सेवा आधिकारण ने अवमानना के मामले में एसडीएम सदर को तलब किया है। लेखपाल धीरेंद्र कुमार सिंह व आगध नरायण की याचिका पर लोक सेवा आधिकारण ने निर्णय किया था। अधिकरण के आदेश के बाद भी एसडीएम द्वारा निसाराण न करने पर लेखपालों ने आधिकारण में

या  
ने।  
के।  
(क  
से।  
वि।  
अ।  
मो।  
भे।  
मि।  
आ।  
हु।  
दा।  
रि।  
ता।  
दि।  
सा।